न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 14 / 2020 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्रीमती पप्पू कुंवर पत्नी गोकलसिंह पुत्री अमरसिंह राजपूत, निवासी आमेट, तहसील आमेट हाल निवासी वाणी–जोजावर, जिला पाली (राज.)
2. श्रीमती लीला कुंवर पत्नी गोविन्दसिंह पुत्री अमरसिंह राजपूत, निवासी आमेट हाल निवासी प्रेमसिंह का गुड़ा, राणावास, जिला पाली (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. पर्वतसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द हाल निवासी गांव माणकदेह, राछेटी
2. महेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द हाल निवासी गांव माणकदेह, राछेटी
3. मु0 रतन कुंवर बेवा अमरसिंह राजपूत, निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द हाल निवासी गांव माणकदेह, राछेटी
4. पटवारी हल्का राछेटी, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. उप पंजीयक आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 28.04.2016 प्र.सं. 58/2015

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री राजमल राव अभिभाषक रेस्पो. सं. 2, 6
3– श्री कमलेष चौहान राजकीय अभि.रे.सं. 4 से 6

———::———

निर्णय **दिनांक 22–09–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा एक वाद बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेषात्मक आज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की मौरूसी मिल्कियत की

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.10.13 13:33:58 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात ग्राम माणकदेह में स्थित है, जिसका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। मूलखातेदार अमरसिंह जी का निधन हो चुका है, जिसके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 है। भूमियों का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 बिना विभाजन कराये उक्त आराजियात को अजनवी को हस्तान्तरण करने पर आमादा है, जिससे उसे रोका जाना आवश्यक है। अतः उक्त आराजियात का वादीगण प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24–02–2016 से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी, तत्पष्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 28–04–2016 को अंतिम डिक्री जारी की। उक्त अंतिम डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 25–08–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री राजमल राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 6 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेष चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा मयाद कण्डोन का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की कोई सूचना उनके अधिवक्ता ने नहीं दी। दिनांक 20–08–2020 को जब पर्वतसिंह मौके पर आया तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः दिनांक 28–04–2016 से दिनांक 20–08–2020 तक का समय कण्डोन किया जावे। ताईद में षपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मनन किया। हालांकि अपील प्रस्तुत करने की करीब 4 वर्ष का विलम्ब हुआ है, किन्तु अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.10.13 13:33:58 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं किया है तथा उन्हें मौके पर बंटवारा करने की कोई सूचना नहीं दी गयी है। पर्वतसिंह ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर माईन्सों की जमीन अपने पास रख ली है। बंटवारे में नियम 20 की पालना नहीं की गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट की बहस से सहमति प्रकट की तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि फर्द बंटवारा अपीलान्टगण की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है तथा फर्द बंटवारा तैयार किये जाने के पूर्व किसी प्रकार की सूचना अपीलान्टगण को दिया जाना भी पत्रावली के रेकार्ड से प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किये गये फर्द बंटवारे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 28–04–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देषों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में फर्द बंटवाडा दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार किया जावे तथा उसपर पक्षकारान की यदि कोई आपत्तियां हैं तो पक्षकारान को विधिवत सुनकर बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 23–11–2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–09–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2020.10.13 13:33:58 IST
Reason: SelfAttested